

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(Trans/142545)2021/एफसीए/प्रमुखसं/ 022

दिनांक 21/3/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.5428 ha. (Jodhpur - 0.2212 ha. & Nagaur - 0.3216 ha.) of Forest land in favour of Sikar New Transmission Ltd. for Construction of 765kV D/C Bhadla-II to Sikar- II Transmission Line Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FP/RJ/TRANS/142545/2021)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(106)वन/2023 दि. 06.12.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी आक्षेप मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर एवं अजमेर के पत्रांक क्रमशः 614 दिनांक 02.02.2024 एवं 1450 दिनांक 16.03.2024 से प्राप्त हुई है जो कि निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.स.	पैरावाइज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।												
8.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण का व्यय चालान अनुसार जमा करा दिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th><th>कार्यालय</th><th>राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>उ.व.सं. जोधपुर</td><td>1,44,669/-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>उ.व.सं. नागौर</td><td>2,10,333/-</td></tr> <tr> <td colspan="2">औषधीय वृक्षारोपण कुल राशि</td><td>3,55,002/-</td></tr> </tbody> </table> Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।	क्र.स.	कार्यालय	राशि	1	उ.व.सं. जोधपुर	1,44,669/-	2	उ.व.सं. नागौर	2,10,333/-	औषधीय वृक्षारोपण कुल राशि		3,55,002/-
क्र.स.	कार्यालय	राशि												
1	उ.व.सं. जोधपुर	1,44,669/-												
2	उ.व.सं. नागौर	2,10,333/-												
औषधीय वृक्षारोपण कुल राशि		3,55,002/-												
9.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।)												
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।												
11.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि के कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं जो कि वन मण्डवार निम्नानुसार है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th><th>कार्यालय</th><th>राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>उ.व.सं. जोधपुर</td><td>3,15,000/-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>उ.व.सं. नागौर</td><td>1,98,000/-</td></tr> <tr> <td colspan="2">क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कुल राशि</td><td>5,13,000/-</td></tr> </tbody> </table> Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।	क्र.स.	कार्यालय	राशि	1	उ.व.सं. जोधपुर	3,15,000/-	2	उ.व.सं. नागौर	1,98,000/-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कुल राशि		5,13,000/-
क्र.स.	कार्यालय	राशि												
1	उ.व.सं. जोधपुर	3,15,000/-												
2	उ.व.सं. नागौर	1,98,000/-												
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कुल राशि		5,13,000/-												

12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करवा दी गयी है। जिसका विवरण वन मण्डलवार नियमानुसार है:- <table><tr><th>क्र.स.</th><th>कार्यालय</th><th>राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>उ.व.सं. जोधपुर</td><td>1,48,235 / -</td></tr><tr><td>2</td><td>उ.व.सं. नागौर</td><td>2,15,517 / -</td></tr><tr><td colspan="2">एन.पी.वी. की कुल राशि</td><td>363,752 / -</td></tr></table> Reference Number:2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है। <table><tr><th>कुल राशि</th><th>CA</th><th>NPV</th><th>Med.</th></tr><tr><td>1 DCF Jodhpur</td><td>315000/-</td><td>148235/-</td><td>144669/-</td></tr><tr><td>2 DCF Nagaur</td><td>198000/-</td><td>215517/-</td><td>210333/-</td></tr><tr><td></td><td>513000/-</td><td>363752/-</td><td>3,55,000</td></tr><tr><td colspan="4">Total 1231754/-</td></tr></table>	क्र.स.	कार्यालय	राशि	1	उ.व.सं. जोधपुर	1,48,235 / -	2	उ.व.सं. नागौर	2,15,517 / -	एन.पी.वी. की कुल राशि		363,752 / -	कुल राशि	CA	NPV	Med.	1 DCF Jodhpur	315000/-	148235/-	144669/-	2 DCF Nagaur	198000/-	215517/-	210333/-		513000/-	363752/-	3,55,000	Total 1231754/-			
क्र.स.	कार्यालय	राशि																																
1	उ.व.सं. जोधपुर	1,48,235 / -																																
2	उ.व.सं. नागौर	2,15,517 / -																																
एन.पी.वी. की कुल राशि		363,752 / -																																
कुल राशि	CA	NPV	Med.																															
1 DCF Jodhpur	315000/-	148235/-	144669/-																															
2 DCF Nagaur	198000/-	215517/-	210333/-																															
	513000/-	363752/-	3,55,000																															
Total 1231754/-																																		
131.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।																																
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।																																
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है। (दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न)																																

16.	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
-----	---	--

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Trans/142545)2021/एफसीए/प्रमुवसं/ 023-30

दिनांक 21/3/24

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, नागौर/जोधपुर/सीकर/चुरू/बीकानेर।
3. Deputy Manager, Sikar New Transmission Limited, Sikar 400/220 KV Sub-station, Village-Bhadadhar, Post-Khuri Badi, 13th mile stone, sikar-bikaner highway, Sikar-332315

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on Proposal No. to view Detail of proposal. Click on Demand letter to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

☒ To be Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

☒ Verified

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

☒ Challan Generated

: This icon shows that the challan has been generated.

☒ Unpaid

: This icon shows that the payment yet to be made.

☒ Paid

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

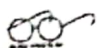
Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/TRANS/142545/2021 Construction of 765 KV D/C Bhada-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)	TRANS1425452021953	06 Dec 2023	CA: 513000/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 363752/- Total: 1231754/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- MEDICIANAL PLANT AMOUNT: 355002/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On Transaction Date	Demand Letter Generated Challan



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

Verified



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

Share Your Feedback

Meity

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ () एफसीए/मुवसजो/2021/614

दिनांक 02/2/24

निमित्त,

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषय : Diversion of 0.5428 Ha. Forest land (0.2212 ha Forest Land in Jodhpur District) for Construction of 765 KV D/C BHADLA II to SIKAR II TRANSMISSION LINE Total Route Length 305.900 Km in Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu and Sikar by Sikar New Transmission Ltd. 100% subsidiary of PowerGrid Corp Ltd (प्रकरण संख्या FP/RJ/TRANS/142545/2021)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 06.12.2023 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 1099 दिनांक 30-1-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि आलौच्य वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित की है। जिससे यह कार्यालय सहमत है। बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि

Signature valid

Rajraj KET
5475016

Digitally signed by S R V. Kateswara
Murthy

Designation : Chief Conservator Of

Date: 2024.02.02 11:09:35 IST

Reason: Approved

7/2
5/4/2024
48
05-02-24

	वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों पालना की जावेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।

उक्तानुसार अनुपालना की 2 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- अनुपालना 2 प्रतियों में

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

Signature valid

RajKaj Ref
5475016

Digitally signed by S R Vankateswara
Murthy

Designation : Chief Conservator Of
Forest

Date: 2024.02.02 14:09:35 IST

Reason: Approved

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
2. Dy. Manager, NR-1, Nagaur TLC, Power Grid Corporation of India Limited, Nagaur को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3- श्री नीलमसिंह, जमादार कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि अनुपालना की फाईलें व्यक्तिशः अरण्य भवन जयपुर में देकर आवें।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5475016

Digitally signed by S R Venkateswara
Murthy
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.02.02 11:09:35 IST
Reason: Approved

क्रमांक: एफ (137)/एफ.सी.ए/उवसं/2024/1099

दिनांक: 30-1-2024

निमित्त: श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर।

(Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/142545/2021)

विषय :- Diversion of 0.5428 Ha. forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प. 1 (108) वन/2023जयपुर, दिनांक 06.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित विन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।

Raj 5433304



Signature valid

Digitally signed by Ajit Behoi
Designation Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.01.30 12:38:48 IST
Reason: Approved

क्र. सं.	अधिरोपित शर्त	पालना
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि के कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं जो कि वन मण्डलवार निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 3,15,000/- 2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 1,98,000/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणकुल राशि : 5,13,000/- Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 वैजमरु 11/01/2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-संख्या दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति विचार किया जावेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार छटकी धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करवा दी गयी है। जिसका विवरण वन मण्डलवार नियमानुसार है:- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,48,235/- 2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 2,15,517/- एन.पी.वी की कुल राशि : 3,63,752/- Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ajit Chai
Designation Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.01.30 12:38:48 IST
Reason: Approved

क्र. सं.	अधिरोपित शर्त	पालना
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों पालना की जावेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार-01 प्रति मय मूल फोल्डर तथा साजस्थान सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की छायाप्रति, जमा करवायी गयी राशि की सूचना 16 बिन्दु के निर्धारित प्रपत्र में।

Signature valid

RajKaj Ref
5433304

Digitally signed by Anil Chai
Designation Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.01.30 12:38:48 IST
Reason: Approved

क्रमांक: सम/1100-1103

दिनांक: 30-11-2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र अरण्य भवन जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सहायक वन संरक्षक फलोदी
3. Dy. Manager, NR-1, Nagaur TLC, Power Grid Corporation of India Limited, Nagaur को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में रेंज बाप के अधिकार क्षेत्र के ग्रामों पर एन.एच. 15 की कुल 0.2212 हैक्टर वन भूमि प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण आपकी रेंज से संबंधित है। अतः उच्च कार्यालय से प्रयोक्ता अभिकरण के कार्य अनुमति नहीं आ जाती तब तक कोई गैर वानिकी कार्य न होने की समय-समय पर पालना भिजवाना सुनिश्चित करावें।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5433304

Digitally signed by Ajit Chohi
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.01.30 12:38:48 IST
Reason: Approved

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(86N)/एफसीए/मुवसअ/2024/11450
निमित्त,

दिनांक:- 16/03/2024

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन),
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय: Diversion of 0.3216 ha. Forest Land for Construction of 765KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line, Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) Proposal No : FP/RJ/TRANS/142545/2021

संदर्भ : उप वन संरक्षक, नागौर का पत्रांक 1790 दिनांक 14.03.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106)वन/2023 जयपुर, दिनांक 06.12.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में 0.3216 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक, नागौर के माध्यम से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

क्र.	पैरावाईज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

RajKaj R/f

6165752



Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.16 13:47:54 IST
Reason: Approved

16/3/24

8.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 2,10,333/- (अक्षरे रुपये दो लाख दस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (प्रति संलग्न)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 1,98,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख अठानवे हजार मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.3216 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रुपये 2,15,517/- (अक्षरे रुपये दो लाख पन्द्राह हजार पांच सौ सत्रह मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (प्रति संलग्न)

Signature valid

RajKaj Ref
6165752

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.16 13:47:54 IST
Reason: Approved

14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अप्पडरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है।(दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न) एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दोनों समाचार पत्रों एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं।
16.	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अप्पडरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस.पी. सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

Signature valid

RajKaj Ref
6165752

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.16 13:47:54 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-294056 ईमेल : dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ (77)एफसीए/उवसं/2023-24/1790

दिनांक : 14-3-24

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

विषय : Diversion of 0.3216 ha. Forest Land for Construction of
765KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line, Total
Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner,
Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/TRANS/142545/2021

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106)वन/2023 जयपुर,
दिनांक 06.12.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में वन विभाग, राजस्थान सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 0.3216 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पैरावाइज पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र.	पैरावाइज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

Signature valid

RajKaj Ref
6119426



Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.14 12:36:30 IST
Reason: Approved

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
8.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 2,10,333/- (अक्षरे रुपये दू लाख दस हजार तीन सौ तैतीस मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।)
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 1,98,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख अठानवे हजार मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

Signature valid

RajKaj Ref
6119426

Digitally signed by S. Kumar Thalor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.12 12:36:30 IST
Reason: Approved

12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.3216 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रुपये 2,15,517/- (अक्षरे रुपये दौ लाख पन्द्राह हजार पांच सौ सत्रह मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (प्रति संलग्न)
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (प्रति संलग्न)
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है। (दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न) एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दोनों समाचार पत्रों एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है।

Signature valid

RajKaj Ref
6119426

Digitally signed by S. Kumar Thalor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.11 12:36:30 IST
Reason: Approved

	नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

संलग्न : उपरोक्तानुसार (दो सैट)।

भवदीय

(सुनील कुमार)

उप वन संरक्षक

नागौर

दिनांक : 14-3-24

क्रमांक : सम./1791

प्रतिलिपि: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA) राज., जयपुर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

RajKaj Ref
6119426

Digitally signed by Sunil Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.03.14 12:36:30 IST
Reason: Approved

दिनांक: 19/01/2024

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जोधपुर

श्रीमान उप वन संरक्षक,
नागौर

(Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/142545/2021)

विषय :- Diversion of 0.5428 Ha. forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 06.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED** के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण का व्यय उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करा दिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,44,669 / -

19/01/24
अनाज असेरी/DHANKAJASERI
अस प्रबंधक/Dy. Manager
एन०आर-1, नागौर, टी०एल०सी०
नरिड सीकर दासविजय लिमिटेड

		2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 2,10,333 /— औषधीय वृक्षारोपण कुल राशि : 3,55,002 /— Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए.सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि के कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं जो कि वन मण्डलवार निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 3,15,000 /— 2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 1,98,000 /— क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कुल राशि : 5,13,000 /— Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करवा दी गयी है। जिसका विवरण वन मण्डलवार नियमानुसार है:- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,48,235 /— 2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 2,15,517 /— एन.पी.वी की कुल राशि : 3,63,752 /— Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

19/01/24
Dy. Manager
वन विभाग, नागौर, डी०एन०सी०
राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न हैं।
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों पालना की जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Place: Nagaur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक

19/01/2014
धनराज आसरी/Dy. Manager
एन०आर-1, नगीर, टी०एल०सी०
पावरग्रिड सेक्टर दोसममान विद्युत

दिनांक: 19/01/2024

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जोधपुर



श्रीमान उप वन संरक्षक,
नागौर

(Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/142545/2021)

विषय :- Diversion of 0.5428 Ha. forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 06.12.2023

महोदय,

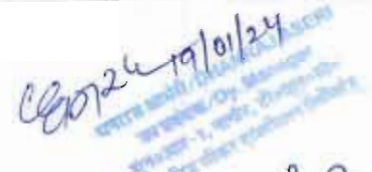
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED** के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/करोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/करोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण का व्यय उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करा दिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,44,669/-

19/01/24
उप वन संरक्षक, जोधपुर
जयपुर

15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों पालना की जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Place: Nagaur


Name: धनराज अग्रसरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 01

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur


Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबंधक



Condition No. 02

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबंधक

धनराज आसेरी
19/01/2024
Authorized By Manager
District & State Disputes
Nagaur District Disputes

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

धनराज आसेरी
19/01/2024
धनराज आसेरी / धनराज आसेरी
अधीनस्थ / धनराज आसेरी
अधीनस्थ - 1, एन.टी. धनराज आसेरी
अधीनस्थ धनराज आसेरी

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा तथा उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

धनराज आसेरी
19/01/2024
धनराज आसेरी / DHANRAJ ASERI
SUSPENDING / Dy. Manager
परिचालन - 1. नागौर, जिला-नागौर
परिचालन विभाग, जिला-नागौर

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/06/2021
धनराज आसेरी
उप प्रबन्धक

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 06

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/06/2021
धनराज आसेरी / DHANRAJ ASEERI
उप प्रबन्धक / Dy. Manager
एन.ए.सी. - 1, प्लॉट 1, राजपुरा-1, नागौर
राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 07

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur


Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 08

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण कराने का व्यय उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबंधक



Condition No. 9

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" हेतु जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

[Handwritten Signature]
19/01/24
धनराज आसेरी
उप-प्रबन्धक
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
प्लॉट नं. 1, पुराना, सीकर-335001
राजस्थान

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No.10

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div. 0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

धनराज आसेरी
19/01/24
उप-प्रबन्धक/UP-Manager
पुनर्वास, सीकर, राजस्थान
पुनर्वास सेवा प्रदाता लिमिटेड

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur


Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 12

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा राशि कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

(Signature)
19/06/21
धनराज आसेरी
उप-प्रबंधक

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक

Condition No. 13

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/01/24
19/01/24
धनराज आसेरी
उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप - प्रबन्धक

Condition No. 14

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/01/24
DHANRAJ ASERI
Up Manager
Transmission Division
Rajasthan Electricity Board

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 15

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। इस हेतु यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

19/01/24
धनराज आसेरी
उप-प्रबंधक

Condition No. 16

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" दौरा GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों की पालना की जावेगी। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Handwritten signature and date: 19/01/24
धनराज आसेरी / DHANRAJ ASEERI
जब्तदार / Dy. Manager
प्रोजेक्ट-1, चण्डी, बी.एस.टी.डी.
सकलपिंडी जंक्शन हाउसिंग डिपार्टमेंट

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक



Payments / Transfers	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



Manage Transactions



e-Fixed Deposit



e-Services



Profile



DEMATI/ASBA



Reports



e-Tax



e-Forex



Direct Debit



Site Map



STUDY

e-PayOrder Details

e-PayOrder Details

e-Fax/Order Number
CNACUYGSHZ

Debit Status	Success
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Scheduled Time 11-Jan-2024 [12:00 AM] IST

PAY RAJASTHAN CAMPA.		Date 11-Jan-2024
RUPEES (in Words) Twelve Lakhs Thirty One Thousand Seven Hundred and Fifty Four only		Rs. 12,31,754.00
ACCOUNT NO 00000040229002761		MANISHA DHOLKHERIA Authorizer 1
STATE BANK OF INDIA CAG-NEW DELHI		MUNISH Authorizer 2
supriya sharma MAKER		2400002355231124 "CNACUYGSH2"

Counterfoil Description

Other

Transaction Type

NEFT Funds transfer

GSTIN Number

1

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000040229002761	CAG-III NEW DELHI	12,31,754.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/15085664142545953	FCS BANGALORE/UNION BANK OF INDIA/UBIN0996535	12,31,754.00	Credited to Beneficiary Account	SBIN224012060219

10/10/19

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-01-2024

Agency Name.	SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED
Application No.	64142545953
MoEF/SG File No.	1(106)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address.	Sikar 400/220kV Sub-station, Vill.-Bhadadhar, Post-Khuri Badi Sikar
Amount(in Rs)	1231754/-

Amount in Words :Twelve Lakh Thirty-One Thousand Seven Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564142545953 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-01-2024

Agency Name.	SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED
Application No.	64142545953
MoEF/SG File No.	1(106)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address:	Sikar 400/220kV Sub-station, Vill.-Bhadadhar, Post-Khuri Badi Sikar
Amount(in Rs)	1231754/-

Amount in Words :Twelve Lakh Thirty-One Thousand Seven Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564142545953 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

19/01/2024
19/01/2024
19/01/2024

• इन्वेस्टमेंट 23 स्मॉल-कैप फंड्स से दिया 32.7% का औसत सालाना रिटर्न

• मार्गदर्शक कंपनी के पास 2022 अक्टूबर 2023 अक्टूबर तक औसत 32.7% की औसत सालाना रिटर्न के साथ 32.7% का औसत सालाना रिटर्न दिया।
28% का औसत सालाना रिटर्न दिया है।
• मार्गदर्शक कंपनी के पास 2022 अक्टूबर 2023 अक्टूबर तक औसत 32.7% का औसत सालाना रिटर्न दिया है।
28% का औसत सालाना रिटर्न दिया है।

• ईवी इंडस्ट्री शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा

• ईवी इंडस्ट्री शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।
• ईवी इंडस्ट्री शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।
• ईवी इंडस्ट्री शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।
• ईवी इंडस्ट्री शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।

• डेट मार्केट सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा

• डेट मार्केट सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।
• डेट मार्केट सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।
• डेट मार्केट सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।
• डेट मार्केट सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।

• फंड रेंजिंग 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल

• फंड रेंजिंग 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।
• फंड रेंजिंग 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।
• फंड रेंजिंग 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।
• फंड रेंजिंग 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।

असुरक्षित लोन टाई गुना रफ्तार से बढ़े



2024 में बढ़ लाना है ये ट्रेड
विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 में बढ़ लाना है ये ट्रेड। विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 में बढ़ लाना है ये ट्रेड। विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 में बढ़ लाना है ये ट्रेड। विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 में बढ़ लाना है ये ट्रेड।

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 08/2023-24 Corrigendum No. 09
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 08/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/4W/0808271

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 10/2023-24 Corrigendum No. 04
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 10/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/4W/0808271

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR
E-Bids are invited from REPUTED SUPPLIERS upto 05.01.2024 till 12.00 noon for MANUFACTURING OF GOLD MEDALS FOR EXAMINATION 2022 ON F.O.R. BASIS Details may be seen in the Bidding Document on our website www.universityofrajasthan.gov.in. Bid form may be seen and downloaded from website apoc.rajabharatpur.gov.in. This Bid shall be processed through e-procurement portal of Govt. of Rajasthan, UBN : URA23240L0809171 NIB : URA2324A0056

जोमेटो और दो बैकों को जोड़ने की नोटिस
जोमेटो और दो बैकों को जोड़ने की नोटिस। जोमेटो और दो बैकों को जोड़ने की नोटिस। जोमेटो और दो बैकों को जोड़ने की नोटिस। जोमेटो और दो बैकों को जोड़ने की नोटिस।

कार्यालय ग्राम पंचायत दूधवा
पंचायत समिति पिताना, जिला झुनझर
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस।

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी। सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी। सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी। सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी। सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी।

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 08/2023-24 Corrigendum No. 09
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 08/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/4W/0808271

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 10/2023-24 Corrigendum No. 04
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 10/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/4W/0808271

Government of Rajasthan
Office of the District Collector and District Magistrate (District - Bandi)
FR/2023/1240 Dated: 27.12.2023
Aspirational Block Program (ABP) for District - Bandi
The Government of Rajasthan is seeking applications for Aspirational Block Program (ABP) for District - Bandi.
The applications will be accepted through hand copy and also through the e-mail id: cpm_bandi@yahoo.com. The applications will be opened from 28.12.2023 (commencing date) and shall close on 05.01.2024 (closing date) at 12.00 noon.
The applications form, Eligibility criteria, procedure for selection, stipend and other details are available at the district website: aspirationalblockprogramrajasthan.gov.in
This program does not provide any type of employment or guarantee for any employment in future.
(Dr. Ravindra Goswami)
District Collector and District Magistrate Bandi

कार्यालय ग्राम पंचायत दूधवा
पंचायत समिति पिताना, जिला झुनझर
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस। आपति आमंत्रण नोटिस।

• इन्व्हेस्टमेंट 23 स्मॉल-कैप फंड्स ने दिया 32.7% का औसत सालाना रिटर्न

• मुद्रास्वत फंड के लिए 2023 अगला साल था। मुद्रास्वत फंड की औसत रिटर्न के 32.7% का औसत सालाना रिटर्न दिया।
• 28 फंड-नेट फंड्स ने इस साल नंबर एक रिटर्न दिया।
• 2023 का औसत सालाना रिटर्न 32.7% था।
• 2023 के औसत सालाना रिटर्न 32.7% था।
• 2023 के औसत सालाना रिटर्न 32.7% था।

• ईवी इंडस्ट्री शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा

• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा।

• डेट मार्केट सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा

• विदेशी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश किया।
• विदेशी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश किया।
• विदेशी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश किया।
• विदेशी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश किया।
• विदेशी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश किया।

• फंड रेटिंग 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल

• वोडफोन के शेयर 6 माह में 80% उछले।
• वोडफोन के शेयर 6 माह में 80% उछले।
• वोडफोन के शेयर 6 माह में 80% उछले।
• वोडफोन के शेयर 6 माह में 80% उछले।
• वोडफोन के शेयर 6 माह में 80% उछले।

संख्यान Analysis • देश में छापत बढ़ने का संकेत, रिटेल लोन में 20 फीसदी से ज्यादा उछाल

असुरक्षित लोन ढाई गुना रफ्तार से बढ़े

विशेष संवाददाता | मुंबई

पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित ऋणों का लोन बढ़ने की गति तेज हो गई है। पिछले छह माह में पर्सनल लोन की वृद्धि 28.1% हो गई है, जो कि पिछले छह माह की वृद्धि 11.5% से अधिक है।

वर्ष	वृद्धि
2023	28.1%
2022	11.5%

2024 में यह वृद्धि 30% से अधिक हो सकती है।

विशेष संवाददाता | मुंबई

पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित ऋणों का लोन बढ़ने की गति तेज हो गई है। पिछले छह माह में पर्सनल लोन की वृद्धि 28.1% हो गई है, जो कि पिछले छह माह की वृद्धि 11.5% से अधिक है।

वर्ष	वृद्धि
2023	28.1%
2022	11.5%

2024 में यह वृद्धि 30% से अधिक हो सकती है।

विशेष संवाददाता | मुंबई

पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित ऋणों का लोन बढ़ने की गति तेज हो गई है। पिछले छह माह में पर्सनल लोन की वृद्धि 28.1% हो गई है, जो कि पिछले छह माह की वृद्धि 11.5% से अधिक है।

वर्ष	वृद्धि
2023	28.1%
2022	11.5%

2024 में यह वृद्धि 30% से अधिक हो सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत दूधवा

पंचायत समिति फिलान, जिला सुन्तुन

आपसि आमंत्रण नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि...

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी

विशेष संवाददाता | मुंबई

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी।

विशेष संवाददाता | मुंबई

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी।

विशेष संवाददाता | मुंबई

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी।

विशेष संवाददाता | मुंबई

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी।

विशेष संवाददाता | मुंबई

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी।

भीलवाड़ा: दूसरे दिन मुर्षी, घरटा व डाबला ग्राम पंचायत क्षेत्र में 113 महिलाओं को टहसया

[illegible][illegible][illegible]

क्र.सं.	विवरण	प्रति १०० रु.			
		अ.सं.	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं.

[illegible]

Bhadrak-II to Saker-II Transmission line हेतु 0.5428 इकाईपर कम

१२. प्रस्ताव पर वन संचालक अंमलानुसार ०.५०४८ ha अर्थात् पाषाण-2
 विस्थापित क्षेत्रों के परिवेश में Diversification of 0.5048 ha by forest land
 DCB Bhadli-II to Sikkar-II Transmutation lines, District Jodhpur,
 Rajasthan (Proposed No. - FFR/TRANS/42545/2021) की
 के प्रस्ताव सहित निम्न बातों के अन्तर्गत प्रस्ताव करती है:-
 १. बंजर भूमि को परिवर्तन नहीं होगा।
 २. प्रस्तावित किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 ३. प्रस्तावित क्षेत्रों के निर्माण एवं वृक्ष रोपण के दौरान आस पास के
 सभी जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई
 हेतु बमरुत उपाय किया जायेगा।
 ४. किए जाने वाले कृषि को वन विभाग की बिना पुर्यान्तगति के
 क्षेत्र में तैयिद परदे परिवर्तन होने पर, वन विभाग के साथ
 प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्रों के आस-पास भण्डार/ रोजों के
 के अन्य नहीं लगाया जायेगा।
 ५. निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत भण्डार/ रोजों/ रोजों
 का आधुनिक की जायेगी, ताकि निष्पत्ति वनों को क्षति न हो।
 ६. प्रस्तावित वनक्षेत्रों के अधिनिर्माण आस पास की वनक्षेत्रों
 प्रस्तावित निर्माण कार्य के वन क्षेत्रों का वन क्षेत्रों को
 निष्पत्ति लाइन के नीचे स्थित वन क्षेत्रों पर पड़े/ वनों क्षेत्रों

वैद्यनं ततोऽपि पश्य पराचर्य हानेन पश्य विभागं कर्तुम् ।
प्रस्तावितं स्वल्पं/वन्धनं के आस-पास मजदूरी/स्टाफ के
केन्द्र नहीं लगाया जायेगा ।
निर्माण कार्य के दौरान स्वल्प पर आस-पास मजदूरी/स्टाफ
केवल आधुनिक नहीं जायेगी, तकि निष्कर्षार्थी वार्न को हासि न हो।
प्रस्तावित नमूनी के अतिरिक्त आस-पास की नमूनी प्ति
परान मिट्टी/पेस्कर काटने या मरने का कार्य नहीं करुना जायेगा।
मृद्युत लाइन के नही रिफर पुरे स्थानी पर पाउरे/वोने पीछी
मालापरमाण की योजना बनकर मुख्य बन संरक्षक से अनुमोदित
के साथ पर कृतापरण कराया जायेगा।
नितिक स्वीकृति की पालना के साथ एक.आर.ए. सार्टिफिकेट
नही हो थिबितस् स्वीकृति पर लागू सभी नियम, कानून तथा
न एवं विषयय में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा
करेगा।
पश्य पर विभाग द्वारा सूच्य से 10 स्थी का पालन होने पर
सूच्य प्रती का पाठन होने पर पाठन स्थी जेने नही प्रती का

का कक्षांतरण पर 10 वर्ष तक रखरखाव किया जायेगा।
 डा. ब्रह्म वर्तमान दरो को समझाते हुए टिप्पणी यमोवर्तल
 डिप्टी & Monitoring of Forest & Wildlife Cleaner Forest)
 द्वारा जमा की जायेगी।
 माननीय उद्योगतन्त्र मन्त्रालय के निट पिडिशन (सिफिन्ट)
 आई.प. संख्या 558 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या
 05.02.2009 संख्या पत्र 12-2/2010-CAMPA विभागा
 आदेशानुसार डा. ब्रह्म वर्तमान मन्त्र (एन.पी.डी.) की निष्पत्ति
 परसेनका अनुमति के अनुसार डा. ब्रह्म वर्तमान मन्त्र तथा दूसरी
 निष्पत्ति विभागा निष्पत्ति प्रबंधन तथा योजना प्रमिशन के तहत
 निष्पत्ति विभागा निष्पत्ति प्रबंधन तथा योजना प्रमिशन के तहत
 निष्पत्ति विभागा निष्पत्ति प्रबंधन तथा योजना प्रमिशन के तहत

जन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक / एमआईएलटी नम्बर की छाया प्रति तालिका सैद्धांतिक स्वीकृति जैसा कि जमा की गई राशि का मन्वहार विवरण हो। प्रेषित की स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

साहाय्य का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सिक्का स्तर परों में बढ़ोतरी होती है। तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता कर जमा की जाएगी।

गृह इस अनुमति का प्रयोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, व. भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय प्रीन
7.11.2012 को पाठित निर्णय की वालना प्रकरण में सुनिश्चित
में जहाँ स्वीकृत को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अजोरी में
—एक समामार पत्र में अवरक: प्रकाशित कराये एवं अजोरी
प्राप्ति के निकट पंचास एवं नभप्राप्तिक के समामार
पाठित के 30 दिन के अन्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
Transmission साक्षी की भूमिका करना का या बर्द आवरण
माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय प्रीन
में सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाये।
(संकेतित)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01562-241046, फैक्स : 01562-246175, ईमेल : dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक : एफ (77)एफसीए/उवसं/2023-24/7684 दिनांक 20-12-23
निमित्त :

Deputy Manager,
Sikar New Transmission Limited, Sikar
400/200 KV Sub-Station, Village-Bhadadhar,
Post-Khuri Badi, 13th mile stone, Sikar-Bikaner Highway,
Sikar-332315

**विषय : Diversion of 0.3216 ha. Forest Land for Construction of
765KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line, Total
Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner,
Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)**

Proposal No : FP/RJ/TRANS/142545/2021

**संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 जयपुर,
दिनांक 06.12.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में 0.3216 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तोंधीन प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे :-

1. **बिन्दु संख्या 8** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2,10,333/- (अक्षरे दू लाख दस हजार तीन सौ तैंतीस रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा जमा करावे।
2. **बिन्दु संख्या 11** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धन राशि 1,98,000/- (अक्षरे एक लाख अठानवे हजार रुपये मात्र) राशि संलग्न प्रपत्र अनुसार जमा करावे।
3. **बिन्दु संख्या 12** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 2,15,517/- (दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ सत्रह रुपये मात्र) राशि संलग्न प्रपत्र अनुसार जमा करावे।

उक्त तीनों बिन्दुओं की शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियो प्रतिपति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वैबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर एवं जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया हो) भिजवावे।

Signature valid

RajKaj Ref
5208061



Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.20 16:21:33 IST
Reason: Approved

[Handwritten signature]
19/12/24
S. Kumar Thakor, Deputy Manager
Sikar New Transmission Limited
Sikar-332315

उक्त के अलावा सैद्धांतिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 16 की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट सैद्धांतिक स्वीकृति अनुसार परिवेश पोर्टल 1.0 पर ऑनलाइन करते हुए प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुनील कुमार)

उप वन संरक्षक

नागौर

दिनांक : 20-12-23

क्रमांक : सम./ 7685-87

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, डीडवाना को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण आपकी रेंज अधीन ग्राम आजवा की कुल 0.3216 हैक्टर रक्षित घोषित सड़क पट्टी पर प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में उच्च कार्यालय से कार्यानुमति प्राप्त होने से पूर्व प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य नहीं होने देना सुनिश्चित करें।

Signature
19/10/24
CHANDRAJ ASERI
उप वन संरक्षक / Dy. Manager
राजस्थान वन विभाग, नागौर
आवासीय क्षेत्र / Residential

RajKaj Ref
5208061

Signature valid

Digitally signed by Sunil Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.20 16:21:33 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ (77)एफसीए/उवस/2023-24/7688

दिनांक : 20-12-23

निमित्त :

Deputy Manager,

Sikar New Transmission Limited, Sikar, 400/200 KV Sub-Station, Village-Bhadadhar,

Post-Khuri Badi, 13th mile stone, Sikar-Bikaner Highway, Sikar-332315 ।

रशि मांग पत्र

- प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Diversion of 0.3216 ha. Forest Land for Construction of 765KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line, Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) Proposal No : FP/RJ/TRANS/142545/2021
- सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : राज0 सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 08.12.23

- व्यजीव स्वीकृति का विवरण :

- प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण (हे०)

CATEGORY	RESERVED FOREST	PROTECTED FOREST	UNCLASSIFIED FOREST	DEEMED FOREST	OTHERS	TOTAL
Area(ha.)	-	-	-	-	0.3216	0.3216

- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	TOTAL
Area(ha.)	-	0.50	0.50

Signature valid

RajKaj Ref
5208061

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 19:21:33 IST
Reason: Approved

20/12/23
19/12/24

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 19:21:33 IST
Reason: Approved

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे :

शर्त क्रमांक	अधिरोधित शर्त विवरण	मांग राशि का मद	क्षेत्रफल (है0)/ संख्या / मात्रा	दर/ गणना सूत्र	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2,10,333/- (अक्षरे दो लाख दस हजार तीन सौ तैंतीस रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा जमा करावे।		0.3216	0.3216x 654021	210333	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से	
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	C.A.(DFL)	0.50	198000	198000	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से	
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	NPV	0.3216	0.3216x 670140	215517	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से	

Signature valid

RajKaj Ref
5208061

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 15:21:33 IST
Reason: Approved

19/10/24

प्रमाणित By Manager
एन.ए. 1, राशि, विवरण
संशोधित और सुनिश्चित किया

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (106) वन/2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:- 06.12.2023

विषय:- Diversion of 0.5428 ha forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar , Rajasthan.

संदर्भ:—ऑनलाईन (परिवेश 1.0) प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/142545/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line हेतु **0.5428** हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.5428 ha forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) (Proposal No. - FP/RJ/TRANS/142545/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर वन (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा।

Validity unknown

Digitally signed by Mohan Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.06 16:22:56 IST
Reason: Approved

9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

Validity unknown

RajKaj Ref
5138665

Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.06 16:23:54 +05'30'
Reason: Approved
विशेषाधिकारी, वन

19/01/24
DR. MANU DHANRAJ ASHOK
Deputy Manager
Forest Dept., Govt. of Karnataka
Bengaluru

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
6. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
7. उप वन संरक्षक, जोधपुर
8. उप वन संरक्षक, नागौर
9. उप वन संरक्षक, सीकर
10. SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED, Sikar 400/220kV Sub-station, Vill.-Bhadadhar, Post-Khuri Badi, 13th mile stone, sikar-bikaner highway, Sikar 332315
11. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी

Validity unknown

RajKaj Ref
5138665

Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.06 16:22:56 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

19/10/24
महाराजगढ़, राजस्थान
जयपुर-7, राजस्थान
कार्यालय वन विभाग

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

No. 4860

Dated. 25/05/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2212 hectare** of forest land purposed to be diverted in favour of **Powergrid Sikar Transmission Limited** for Construction of **765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line overhead crossing of the Kan Singh Ki Sid (Khasra No. 254/1) of Bap Tehsil by 765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line Under Tehsil Bap District Jodhpur, State Rajasthan Falls within jurisdiction of Jodhpur.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2212 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

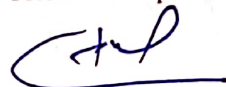
Encls.: As above.

No. Revenue/Forest/Diversion/22/4861

Copy Forwarded to :

1. DCF, Teritorial, Jodhpur.





(Himanshu Gupta)

District Collector

Jodhpur

Date : 25/05/2022

क्रमांक:- राजस्व / FRA / 2022 / 4859

दिनांक : 25/05/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा तहसील बाप के ग्राम कान सिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नंबर 254/1 तादादी 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में आने वाले प्रस्तावित. रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2022 को आहूत की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए-

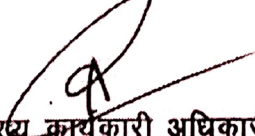
- | | |
|------------------------|---|
| 1. श्री हिमांशु गुप्ता | जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष) |
| 2. श्री अभिषेक सुराणा | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर |
| 3. श्री विकास अरोड़ा | उप वन संरक्षक, जोधपुर |

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड बाप में दिनांक 08.03.2022 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित की जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया गया है।

उक्त 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तदनुसार तहसील बाप के ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 254/1 में 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन की स्थापना हेतु 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।


उप वन संरक्षक,
जोधपुर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर


जिला कलक्टर,
जोधपुर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता:- उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप

ईमेल:- sdmbap-jod-rj@nic.in

संपर्क सूत्र:- 02921-277050

क्रमांक: / सामा. / विविध / FRA / 2022 / 6483

दिनांक:- 08/11/22

—: बैठक कार्यवाही विवरण:—

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/22/1580 दिनांक 16.02.2022 की अनुपालना में आज दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 12:00 बजे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती प्रतीज्ञा सोनी, तहसीलदार बाप।
2. श्री प्रवीण सिंह, विकास अधिकारी प.स. बाप।
3. श्री हासमखां, सहायक वनपाल, वन विभाग बाप।
4. श्री मुकेश कुमार स्वामी, सहायक प्रबन्धक पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, फलोदी।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:-

1. पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, के द्वारा ग्राम कानसिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लिमिटेड ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. ग्राम कानसिंह की सिड टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाप

तहसीलदार बाप

(हरिसिंह देवल)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बाप(जोधपुर)

Annexure-I

FORM-I
(For LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(05)(163)Rev/2022/

Date :

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -EC(pt.) dated 28th October, 2014 it is certified that **0.3216** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Powergrid Sikar Transmission Limited Nagaur** for construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar II Transmission line (purpose for diversion of forest land) along the **Ladnu-Didwana** on road in Nagaur district falls within jurisdiction of **Ajawa** village in **Didwana** Tehsil.

It is further certified that the above **0.3216** hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive tribal group (PTG) and the rights of pre-agriculture communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted is having plantation which were notified as "Forest less than 75 years, prior to the 13th day of December 2005 and are located in village **Ajawa** having no recorded population of schedule tribes as per the census-2001 and the census-2011".

No. Same/

4684-85

(Peeyush Samariya)
District Collector, Nagaur

Dated 15-06-22

- ✓ 1. Copy forwarded to Dy. Manager, Powergrid Sikar Transmission Limited, Nagaur with original certificate.
2. Dy. Conservator of Forest, Nagaur
3. Guard File

(Mohan Lal Khatnawalia)
Add. District Collector
Nagaur

CE 924
19/01/24
WITH MR. DHANU JADON
FOR MR. D. J. JADON
FOR MR. D. J. JADON
FOR MR. D. J. JADON

Annexure-I

**FORM-I
(For LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur**

No. F.12(05)(L63)Rev/2022/ 4683

Date : 15-06-22

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -EC(pt.) dated 28th October, 2014 it is certified that **0.3216** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Powergrid Sikar Transmission Limited Nagaur** for construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar II Transmission line (purpose for diversion of forest land) along the **Ladnu-Didwana** on road in Nagaur district falls within jurisdiction of **Ajawa** village in **Didwana** Tehsil.

It is further certified that the above **0.3216** hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive tribal group (PTG) and the rights of pre-agriculture communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted is having plantation which were notified as "Forest less than 75 years, prior to the 13th day of December 2005 and are located in village **Ajawa** having no recorded population of schedule tribes as per the census-2001 and the census-2011".


(Peeyush Samariya)
District Collector, Nagaur


19/06/22
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
NAGOUR, RAJASTHAN
FOR THE DISTRICT COLLECTOR

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

No. 4860

Dated. 25/05/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2212 hectare** of forest land purposed to be diverted in favour of **Powergrid Sikar Transmission Limited** for Construction of **765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line overhead crossing of the Kan Singh Ki Sid (Khasra No. 254/1) of Bap Tehsil by 765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line Under Tehsil Bap District Jodhpur, State Rajasthan Falls within jurisdiction of Jodhpur.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2212 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

No. Revenue/Forest/Diversion/22/4861

Copy Forwarded to :

1. DCF, Teritorial, Jodhpur.



(Signature)

(Himanshu Gupta)

District Collector

Jodhpur

Date : 25/05/2022

क्रमांक:- राजस्व / FRA / 2022 / 4859

दिनांक : 25/05/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा तहसील बाप के ग्राम कान सिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नंबर 254/1 तादादी 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में आने वाले प्रस्तावित. रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2022 को आहूत की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए-

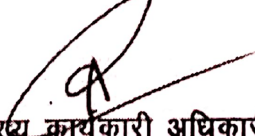
- | | |
|------------------------|---|
| 1. श्री हिमांशु गुप्ता | जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष) |
| 2. श्री अभिषेक सुराणा | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर |
| 3. श्री विकास अरोड़ा | उप वन संरक्षक, जोधपुर |

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड बाप में दिनांक 08.03.2022 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित की जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया गया है।

उक्त 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तदनुसार तहसील बाप के ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 254/1 में 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन की स्थापना हेतु 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।


उप वन संरक्षक,
जोधपुर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर


जिला कलक्टर,
जोधपुर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता:- उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप

ईमेल:- sdmbap-jod-rj@nic.in

संपर्क सूत्र:- 02921-277050

क्रमांक: / सामा. / विविध / FRA / 2022 / 6483

दिनांक:- 08/11/22

—: बैठक कार्यवाही विवरण:—

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/22/1580 दिनांक 16.02.2022 की अनुपालना में आज दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 12:00 बजे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती प्रतीज्ञा सोनी, तहसीलदार बाप।
2. श्री प्रवीण सिंह, विकास अधिकारी प.स. बाप।
3. श्री हासमखां, सहायक वनपाल, वन विभाग बाप।
4. श्री मुकेश कुमार स्वामी, सहायक प्रबन्धक पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, फलोदी।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:-

1. पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, के द्वारा ग्राम कानसिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लिमिटेड ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. ग्राम कानसिंह की सिड टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाप

तहसीलदार बाप

(हरिसिंह देवल)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बाप(जोधपुर)

कमांक: एफ(137)FCA/उवसं/2023/14135

दिनांक: 29/12/2023

निमित्त:-प्रबन्धक

पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नागौर, राजस्थान

विषय:- Construction of 765 KV DC Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan), PROPOSAL No. FP/RJ/ TRANS /142545/2021, Jodhpur Division Area-0.2212 Ha

संदर्भ:-राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 दिनांक 06.12.2023 एवं उच्च कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देश दिनांक 27.12.2023 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.2212 ha of forest land for Construction of 765 KV DC Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan), PROPOSAL No. FP/RJ/ TRANS /142545/2021 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना/वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु संख्या 8-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 6,54,021 X 0.2212 = 144669/- (अक्षरे एक लाख चवालिस हजार छः सौ उन्नसतर रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 11:-प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रुपये 3,15,000/- (अक्षरे तीन लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 12- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत निर्धारित मान्यता के अनुसार मान्यता प्राप्त मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N Godavarman Thirumudaiyars v. Union of India) में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV @ 140 रुपये/हेक्टर (140 रुपये/हेक्टर) 1.48,235/- (अक्षरे एक लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

Signature valid

Digitally signed by T. N Godavarman Thirumudaiyars, Designation Deputy Conservator Of Forest, Date: 2023.12.29 15:47:03, Reason: Approved

कृ०पृ०उ०

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के समस्त बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 16 की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

इस कार्यालय पत्र क्रमांक एफ(137)FCA/उवसं/2023/13775- दिनांक 08.12.2023 को निरस्त किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजित उचोई)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
3. सहायक वन संरक्षक फलोदी
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में रेंज बाप के अधिकार क्षेत्र के ग्रामों पर एन.एच. 15 की कुल 0.2212 हेक्टर वन भूमि प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण आपकी रेंज से संबंधित है। अतः जब तक उक्त कार्यालय से कार्यानुमति प्राप्त न हो तब तक कोई गैर वानिकी कार्य नहीं होने देना सुनिश्चित करें।

Signature valid

RajKaj Ref
5248655

उप वन संरक्षक
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.29 15:47:03 IST
Reason: Approved